संशोधित निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 200+वा0क0

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

E-mail : infodg.uk@gmail.com, दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

संख्याः 06 / सू0एवंलो0सं0वि0 (नि0शा0)–22 / 2010

देहरादून, दिनांक 06 अप्रैल, 2017

निविदा–प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम-तिथि 13 अप्रैल,2017 अपराह्न 2.00 बजे तक।
2. सीलबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल, 2017 अपराह्न 2.00 बजे तक।
3. सीलबन्द निविदा खुलने की तिथि 15 अप्रैल,2017 सांय 4.00 बजे तक।

अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

निविदा के नियम व शर्ते

(क) वित्तीय शर्तेः–

निविदादाता फर्म को कार्य हेतु अपनी दरें नीचे दिये हुए प्रपत्र पर निर्धारित कालमों के सामने समस्त व्यय एवं करों सहित एकमुश्त अंकित करनी होंगी। जिस फर्म की दरें संकलित रूप से न्यूनतम होंगी, उसी फर्म को विभाग में उक्त कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया जायेगा। जिस फर्म द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एकमुश्त दरें अंकित नहीं की जायेंगी,(अतिरिक्त सामग्री की दरों को छोड़कर) उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की प्रतिमाह एकमुश्त दर (रु0)
1.	हिन्दी एवं अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्र–पत्रिकाओं, से जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 50 होगी, की विषयवार 100 से 120 मूल कतरनों (क्लीपिंग्स) की औसतन दरें प्रतिमाह एकमुश्त दर रु0	
2.	उक्त मूल कतरनों की स्वच्छ फोटो प्रति की दरें (प्रति माह एकमुश्त दर) रु0	
3.	उक्त कतरनों की ई–फार्मेट पर प्रतिदिन एक प्रति उपलब्ध कराने की दर (प्रति माह एकमुश्त दर) रु0	
	उक्त समस्त कार्यों की एकमुश्त दरों का योगः–	

.....2 /

अतिरिक्त सामग्री की दरें:–		
क्र.सं.	कार्य का विवरण	दरें (रु0)
1.	आवश्यकता पड़ने पर प्रति कतरन (क्लीपिंग्स) की रंगीन फोटो कापी उपलब्ध करने की दर	
2.	आवश्यकता पड़ने पर प्रति क्लीपिंग्स की अतिरिक्त श्वेत–श्याम फोटो कापी की दर	
3.	आवश्यकता पड़ने पर उक्त कतरनों की अतिरिक्त सी0डी0 उपलब्ध कराने पर प्रति सी0डी0 की दर	
4.	आवश्यकता पड़ने पर ई–मेल के माध्यम से क्लीपिंग्स भेजने पर प्रति ई–मेल की दर	

(ख) तकनीकी शर्तें:–

01. निविदादाता फर्म को हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्रों में मा0 मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री अन्य मंत्रीगणों, विभिन्न विभाग, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों, सम्पादकीय, फीचर–लेख, त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित प्रमुख समस्यापरक समाचार एवं विविध समाचारों की निरीक्षा कर उनकी कतरनों के विषयवार अलग–अलग सेट (दो मूल व 25 से 30 छायाप्रतियां) विभागीय निर्देशानुसार उपलब्ध कराने होंगे।
02. फर्म को समाचार पत्रों की निरीक्षा कर प्रतिदिन प्रातः 7.30 बजे कतरनों के एक–एक मूल सेट महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री को तथा उसकी छाया प्रतियों के सेट क्रमशः मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव सूचना तथा महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के साथ ही शेष अन्य विशिष्ट व्यक्तियों, जिनकी सूची विभाग द्वारा यथासमय उपलब्ध करायी जायेगी, को प्रातः 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
03. समाचार क्लीपिंग्स के सेट में उत्तराखण्ड के साथ ही पड़ोसी राज्यों से प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की कतरनें उपलब्ध करानी होंगी।
04. विभाग द्वारा फर्म से किसी भी क्लीपिंग्स को आवश्यकता पड़ने पर मांगे जाने की दशा में एक घण्टे के भीतर आवश्यकता वाले स्थान पर साफ्ट एवं हार्ड कापी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
05. फर्म को समाचार पत्रों की निरीक्षा के कार्य के अनुभव के रूप में अपने ग्राहकों के नाम और उनसे प्राप्त कार्यादेशों की प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी तथा पूर्व में किये गये कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण–पत्र भी देना होगा। इस कार्य के लिये वही फर्म अर्ह मानी जायेगी, जिसके पास इससे सम्बन्धित कार्य का कम से कम दो साल का अनुभव हो।
06. फर्म को आयकर रिर्टन की अद्यतन प्रति निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
07. निविदादाता फर्म को निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रु0 10 हजार का डिमाण्ड ड्राफ्ट महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
08. फर्म का कार्यालय देहरादून में होना अनिवार्य है यदि किसी फर्म का कार्यालय देहरादून में स्थापित नहीं है और विभाग द्वारा उन्हें अनुबन्धित किया जाता है तो फर्म को 15 दिन के अन्दर देहरादून में समस्त मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों सहित कार्यालय स्थापित करना आवश्यक होगा।
09. **फर्म का कार्यालय देहरादून में होने के पक्ष में बिजली बिल/ टेलीफोन बिल /मकान मालिक से किरायेदारी इकरारनामा/पानी के बिल को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।**
10. विभागीय समिति द्वारा क्लीपिंग्स सम्बन्धी कार्य के लिये चयनित फर्म के कार्यालय, मानव संसाधन(कम से कम 05 व्यक्तियों का स्टाफ) एवं आवश्यक उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। उसकी रिपोर्ट के पश्चात ही फर्म के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। .....3/..

11. **कार्यालय में मानव संसाधनों की संख्या की पुष्टि हेतु प्रमाणित वोटर आई0डी0/आधार तथा उनके शैक्षिक अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।**
12. **कार्यालय में स्थापित उपकरणों जैसे–कम्प्यूटर/ प्रिण्टर/स्कैनर/नेट/ फोटो कापियर मशीन आदि होने के पक्ष में उनके बीजक उपलब्ध कराने होंगे।**
13. फर्म को शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करना होगा, जो महानिदेशक की शिकायत और फीडबैक के लिए उत्तरदायी होगा। लगातार 6 बार अनुत्तरदायी होने पर फर्म की सेवाओं को एक माह के नोटिस पर निरस्त करते हुए जमानती धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
14. समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को ई–फार्मेट में प्रदर्शित करने के लिये विभागीय स्तर पर साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें विषयवार कतरनों को संकलित कर अपलोड किया जाना होगा। इसके लिये फर्म को कतरनों की प्रति उच्च गुणवत्तायुक्त डीजिटलकेम के माध्यम से कम्प्यूटर में अपलोड करनी होगी तथा कतरनों को साफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। समाचार कतरनों की फोटो प्रति की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उनकी प्रति आवश्यकतानुसार प्रिण्ट में उपलब्ध करानी होगी। समाचार कतरनों को ई–फार्मेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रारम्भ होने के पश्चात फोटोकॉपी के रूप में विभिन्न महानुभावों को प्रेषित की जा रही पत्रावली के स्थान पर उनके द्वारा भी इनका अवलोकन इससे सम्बन्धित साफ्टवेयर पर अवलोकित किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रिण्ट आउट लिया जा सकेगा।

(ग) अन्य शर्तें:–

01. निरीक्षा कार्य हेतु जिस फर्म की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, उस फर्म के द्वारा यदि कार्य करने से असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उस फर्म की जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
02. जिस फर्म को निरीक्षा कार्य हेतु चयनित किया जायेगा, उसे निदेशालय से किये गये अनुबन्ध में कुल अनुमानित वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में बन्धक रखना अनिवार्य होगा।
03. बीजक भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
04. **फर्म को सेवाकर का भुगतान तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित फर्म यह घोषणा करे कि उनके द्वारा प्रदत्त सेवायें सेवाकर के अधीन हैं तथा फर्म द्वारा सेवाकर दिया जाता है। यह फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह नियमानुसार सेवाकर का दावा करें।**
05. **फर्म को टिन/व्यापार कर पंजीयन संख्या उपलब्ध करानी होगी।**
06. चयनित फर्म को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
07. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
08. किसी भी दशा में विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

फर्म का नाम एवं पता:–.....

.....

व्यापार कर पंजीकृत संख्या:–.....

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर:–.....

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

रबर स्टैम्प